



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला.176213

दिनांक: 01.04.2021

हि0शि0बो0(17)गोपनीय -1/2021 -15 / 40

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक हि0शि0बो0(17)गोपनीय-1/ स्थल मूल्यांकन /1 /2021 दिनांक 04.03.2021 के क्रम को जारी रखते हुये सूचित किया जाता है कि अप्रैल,2021 में आयोजित की जाने वाली दसवीं व जमा दो की परीक्षाओं (नियमित व एस0ओ0एस0) से सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूलों से **Head/Sub Examiners** (परीक्षक) की नियुक्ति के लिये ऑनलाईन सहमति पत्र आमंत्रित किये गये है जिसका लिंक सम्बन्धित स्कूल की **User ID** में उपलब्ध करवा दिया गया है। इस सम्बन्ध में सहमति पत्र अपलोड करने की अन्तिम तिथि 31.03.2021 निर्धारित की गई थी।

बोर्ड नियमानुसार मुख्य परीक्षक के लिये सरकारी स्कूलों के नियुक्त नियमित अध्यापक/प्राध्यापक को सम्बन्धित विषय को पढ़ाने का अनुभव कम से कम **दस वर्ष** होना चाहिए जबकि उप परीक्षक के लिये सरकारी स्कूलों के नियमित, पैरा अध्यापक तथा अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त अध्यापक/प्राध्यापक को सम्बन्धित विषय को पढ़ाने का अनुभव कम से कम **तीन वर्ष** होना चाहिए इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में नियुक्त पीटीए अथवा एसएमसी शिक्षक तथा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में लगातार **(Without any Break)** कार्यरत अध्यापक/ प्राध्यापक जो कि सम्बन्धित विषय को पढ़ाने का कम से कम **चार वर्ष** (लगातार) का अनुभव रखते हैं व **स्नातक** स्तर तक स्वयं पढ़ा हो उप परीक्षक के लिये पात्र होंगे।

अतः समस्त स्कूल प्रमुख अपने- अपने अधीनस्थ कार्यरत दसवीं तथा जमा दो कक्षाओं के समस्त विषयों के पात्र सभी अध्यापकों का डाटा (HE,SE के लिए **online/off-line** आवेदन कर चुके अध्यापकों के अतिरिक्त)। निर्धारित प्रारूप के अनुसार **MS Excel file** में तैयार कर इसकी **soft copy** को **hpboosesosrcy.17@gmail.com** पर ईमेल के माध्यम से दिनांक 09-04-2021 तक बोर्ड को प्रेषित करें।


इसके अतिरिक्त पात्र अध्यापक/प्राध्यापक भी दिनांक 09.4.2021 तक सम्बन्धित स्कूल की **User ID** के माध्यम से सम्बन्धित विषय की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये मुख्य/उप परीक्षक हेतु आनलाइन सहमति पत्र अपलोड कर सकते हैं।


उप सचिव(गोपनीय)
कृते सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:

1. समस्त प्रमुख, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख, निजी वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय हिमाचल प्रदेश।
3. प्रभारी, डाटा सेंटर/ आई0टी0सैल, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।


उप सचिव(गोपनीय)
कृते सचिव